

3350

chug w' HD30

3108



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3093958d76fdbf199dbd

Receipt Date : 24-Sep-2020 09:24:41 am

Receipt Amount : 24000/-

Amount In Words : Twenty Four Thousands Rupees Only

Token Number : 20200000077932

Office Name : SRO - Bokaro

Document Type : Sale Deed

Payee Name : SANJOY KUMAR (Vendee)

GRN Number : 2002039613



Haripad Mehta 20.09.2020

600,000
Pr

21 के अधीन ग्राह्य: भारतीय स. - For Office Use :-

नियम 1899 की अनुसूची। संख्या..... Srb

धेन यथावत् स्टाम्प-शुल्क लगाया ग. 24000

या स्टाम्प शुल्क स.विमुक्त है।

29/9 निगमन पदाधिकारी

29/9/20 बोकारो

AGI	18000	=	200
Sdu	3	=	00
Pr	1	=	00
	4	=	00
<u>18004</u>		=	<u>000</u>

29/9/20

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Sanj Kumar

दस्तावेज में 05/19/2020
अंचल से प्राप्ति प्लॉट से बाहर है.



Haripad Mahatha
Haripad 09.09.2020

09/09/20
दस्तावेज में 05/19/2020
अंचल से बाहर है।

बिक्रेता का नाम:- श्री हरिपद माहथा, UID No. 3060 4315 6489, PAN- CJRPM8192F,
पिता- स्व0 चन्द्रशेखर माहथा, जाति:- भूमिहार ब्राह्मण, पेशा- खेती, निवास स्थान-
बौधगोड़ा, पो0- सतनपुर, थाना- पिण्ड्राजौरा, जिला:- बोकारो, (झारखण्ड) सी0. एन0. टी0.
एक्ट के दायरे से बाहर है।

क्रेता का नाम:- श्री सनोज कुमार, UID NO. 8345 6505 2590, PAN- CRLPK9045B,
पिता- श्री चन्द्रिका ठाकुर, जाति:- ठाकुर, पेशा:- नौकरी, निवास स्थान:- सेक्टर 3 ए,
थाना मोड़, बी0 एस0 बी0 कै0 कॉलौनी, पो0 वो थाना- बी0 एस0 सिटी, जिला:- बोकारो,
(झारखण्ड), राष्ट्रीयता:- भारतीय।

लेख्यप्रकार :- बिक्रय पत्र (केवाला दस्तावेज)

मूल्य मोवलक:- 6,00,000 रुपये, (छः लाख रुपये) मात्र।

मौजा:- "बौधगोड़ा" के अन्दर रकवा 05 डी0, (पाँच डिसमिल) जमीन मात्र, मालिक
जमीन्दार झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय चास। सालाना मालगुजारी 10 पैसा मात्र।

जमीन की किस्म:- कच्चा रास्ता के बगल में आवासीय योग्य खाली जमीन है, यह जमीन
चास नगरपालिका का वार्ड नं0 30 में अवस्थित है। जिसका होल्डींग नं0 0300000364000M0
है।

तफशील:- जिला बोकारो वो जिला अवर निबंधन कार्यालय बोकारो स्थान चास, परगना
खासपेल थाना:- चास अन्तर्गत 35 नं0 थाना भूक्त मौजा "बौधगोड़ा" के अन्दर सर्वे
सेटलमेन्ट माप के समय बिक्रेता के पितामह बनु माहथा के नाम से पर्चा भुक्त रैयती स्वतव
का निर्जांश दखलिकार सम्पत्ति होता है। जिसका खाता नं0 27 (सताईस) नया खाता नं0
171 (एक सौ एकहत्तर) प्लॉट नं0 23 (तैईस), नया प्लॉट नं0 81 (एकासी), में से रकवा 3.
50 डी0 जमीन एवं प्लॉट नं0 26 (तैईस), नया प्लॉट नं0 81 (एकासी), में से रकवा 1.50 डी0
जमीन एक खाता दो प्लॉटों में से नक्शा मुताबीक अपना निर्जांश रकवा 05 डी0, (पाँच
डिसमिल) जमीन मात्र आज आपके हाथ केवाला बिक्री किया।

(2)

Sury Kumar

Harisand Mehta
29.9.2020

जो कि दस्तावेज के साथ नक्शा नत्थी किया हुआ "Plotting No. 2" चिह्नित जमीन लाल रंग से रंगा हुआ दर्शाया गया है। जिसका चौहद्दी:-

उत्तर :- सीता पति देवी	दक्षिण :- प्लॉटिंग नं० 1
पूरब :- साक्षि अपार्टमेन्ट	पश्चिम :- 15 फीट चौड़ा रोड़ क्रेता द्वारा 05 फीट छोड़ा गया

उक्त जमीन का भोलुम नं० :- 01, पेज नं०:- 170, सन् 2017-18 तक लगान दर्ज है।

बिक्रेता का बंशावली

एक प्रति इस दस्तोवज के साथ संगलग्न है।

चूंकि बिक्रय पत्र (केवाला दस्तावेज) का विवरण यह है कि हमलोगों को (बिक्रेतागण को) अति आवश्यक सांसारिक खर्च आदि के लिए रुपये कि बहुत ही आवश्यकता आ पड़ने के कारण रुपये संग्रह का दूसरा उपाय नहीं देखकर उपरोक्त विवरण में लिखी जमीन को बिक्री करने का प्रस्ताव करने पर क्रेता के द्वारा खरीदने के लिए राजी होने पर उक्त जमीन का सम्योचित सर्वोच्च मूल्य 6,00,000 रुपये, (छह लाख रुपये) धार्य हुआ, जो आज उपरोक्त धार्यकृत मूल्य के समस्त रुपये को नगद-वो चेक के द्वारा समझकर पाकर उपरोक्त विवरण में लिखी जमीन को बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्व हुए एवं उपरोक्त जमीन पर हमलोगों का (बिक्रेतागण का) जिस प्रकार का हक अधिकार दावी दावा आदि था, सब आज से क्रेता के हाथ हस्तान्तर कर दिया। क्रेता माय वारिशन हमलोगों के (बिक्रेतागण का) सम्पूर्ण स्वत्व से स्वत्वान होकर उक्त जमीन पर कच्चा पक्का मकान बनाकर या बाग-बगीचा लगाकर या प्रजायिली बन्दोबस्त फमता युक्त दान बिक्री रहनादि सर्व प्रकार का हस्तान्तर आदि का मालिक बनकर भोग दचाल करते रहें, इसमें बिक्रेतागण या बिक्रेतागण के उत्तराधिकारी को भविष्य में किसी भी तरह का आपत्ति या ईतराज नहीं होगा, करने पर भी आपत्ति आदि सर्वत्र नाजायज व अमान्य समझा जाएगा। बिक्री जमीन का झारखण्ड सरकार मा० अंचल कार्यालय चास से चारिज दाखिल कराकर सालाना मालगुजारी प्रति वर्ष अदाय देकर अपने नाम से रसीद ग्रहण करते रहे। उपरोक्त बिक्रीत जमीन पर हमलोगों का (बिक्रेतागण का) निर्विवाद रूप अधिकार एवं दखल एवं कब्जा हैं एवं आज से पहले इसे किसी भी तरह का दान बिक्री आदि नहीं किया हुआ है, एवं किसी प्रकार का बैंक ऋण आदि नहीं लिया हुआ है, तथापि अगर भविष्य में क्रेता या क्रेता के उत्तराधिकारीयों को दखल कब्जा में विवाद हो तो दखल दिलाने वो समस्त क्षतिपूर्ति के देनदार होंगे।

(3)

Gary Mehta

Hast-keed Mahottka

29.9.2020

उक्त तफशील वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारी के पैतृक निजांश दखलीकार सम्पत्ति होता है। जो कि वर्तमान समय में लेख्यकारी के संसारिक खर्च एवं सुविधाजनक जमीन खरीदने के वास्ते रूपये की सख्त जरूरत पड़ने पर तफशील प्रकाशित सम्पत्ति बिक्री के सिवा दुसरा अन्य उपाय नहीं रहने के कारण लेख्यकारी ने अपना निजांश जमीन केवाला बिक्री की बात लेख्यधारी से किये तब चंद मानिन्द व्यक्तियों के समक्ष तफशील वर्णित सम्पत्ति का वाजिब बाजार मूल्य 8,00,000 रूपये, (छः लाख रूपये) में तय हुआ जो दोनों पक्षों को मान्य है। तथा लेख्यकारी ने आज दिन-तारीख को लेख्यधारी से निम्न गवाहों के समक्ष मूल्य का कुल रूपये नगद भुगतान पाकर मोवाजी रकवा 05 डी0, (पाँच डिसमिल) जमीन मात्र, लेख्यधारी के हाथ केवाला बेचा वो आज दिन तारीख से दखल देकर मालिक बना दिया।

अब लेख्यधारी मेरे जैसे सब कुछ न्याय दखल में दखलीकार रहकर उक्त सम्पत्ति का सालाना मालगुजारी 05 पैसे की दर से मालिक जमीनदार डारखण्ड सरकार को प्रतिवर्ष वसूली देकर अपने नाम से लगान रसीद ग्रहण कर उक्त जमीन पर हर प्रकार से दखलीकार रहकर, उक्त जमीन पर कच्चा पक्का गृह निर्माण कर, वस वासकर, दान-बिक्रय हस्तान्तरण इत्यादि सर्व प्रकार का मालिक बनकर वंशपरम्परा पुत्र-पुत्रादि वारिशगण परमसुख से सुख भोग दखल करते रहे। इसमें लेख्यकारी को या उनके वारिशगण को किसी को किसी प्रकार का दावी-दावा या हक वो अधिकार नहीं रहेगा, करने पर वो कानूनन बिल्कुल नाजायज वो नामजूर समझा जाएगा।

प्रकाश रहे कि उक्त बिक्रीत सम्पत्ति किसी दुसरे अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का कच्चा-पक्का बेनामी, ऐग्रीमेन्ट, बैंक मोरगेज, वसियत, आममुखतारनामा किया हुआ नहीं है। अगर भविष्य में किसी प्रकार का दखल या कब्जा करने में त्रुटि या क्षति प्रमाण हो, तो सारा क्षति पूर्ति का देनदार स्वयं लेख्यकारी होंगे, या उनके वारिशगण होंगे। बिक्रीत जमीन में किसी भी प्रकार का बाद विवाद एवं किसी भी सक्षम न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा लम्बित नहीं है तथा सरकारी संस्था वो गैर सरकारी संस्था में अवमार मुक्त है।

अतः मूल्य का कुल 8,00,000 रूपये, (छः लाख रूपये) नगद भुगतान पाकर हमलोग लेख्यकारी अपने-अपने दिमाग कि स्वच्छंदता व होश हवास में यह केवाला दस्तावेज पर सही सम्पादन किया जो कि समय पर काम आवें इति अंग्रेजी सन् 2020 दिनांक:- 22/09/2020

लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के कथनानुसार यह केवाला दस्तावेज लिखा वो दोनों पक्षों को गवाहों के समक्ष प्रदकर सुनाया वो समझा दिया।

(4)

Saraj Kumar

Hanupad Mahatta
29.9.2020

घोषणा पत्र

बिक्रेता एवं क्रेता यह घोषणा करता हूँ कि दस्तावेज में वर्णित सभी तथ्य बिल्कुल सही है, तथा जो भी दस्तावेज के साथ कानूनी कागजात का छायाप्रति संलग्न है बिल्कुल सही है, यदि किसी प्रकार गलत साबित होता है तो हम पक्षगण दण्ड के भागी होंगे।

लेखक:- श्री महावीर महतो, मो० घास

प्रमाणित किया जाता है उक्त भूमि सरकारी, गैरमजबूत, वन भूमि, अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर है एवं प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है, उनके बायें हाथ की उंगलियों का निशान मेरे सामने लिए गये हैं।

प्रारूपकर्ता - शक्ति पद महतो, ला० नं० 2/87,

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

गवाह गण



Sanj Kumar
29.9.2020



शक्ति पद महतो
मो० घास
बौकपोडा
बौकरो

29.9.2020

प्रदीप कुमार का
पिताश्व नितरण मा।
विश्वनाथ सिंह कोठार

Pradeep Kumar
Father - Tarni Chandra
Mahatta
बौकपोडा, बौकरो

Sanj Kumar